Speed post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. SST/8/2017/MFIN9/SEHRMT/RU-IV Dated: 04.04.2018

To,

The Chairman,
Uttar Bihar Gramin Bank,
Kalmbagh Chowk,
Muzaffarpur – 842 001
(Bihar).

2. The Regional Manager,
Uttar Bihar Gramin Bank,
Regional Office- Chhapra
(Bihar).

Sub: Proceedings of the sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 19.03.2018 at 12.00 Noon in the matter of Smt. Shanti Seema Toppo, (employee of Uttar Bihar Gramin Bank) Mehrauli, New Delhi regarding harassment by Uttar Bihar Gramin Bank.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting held under the Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes on 19.03.2018 on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that action taken report in the matter may please be intimated to the Commission, at an early date.

Yours faithfully,

DS Kumbhare 4/4/2018

(D.S. Kumbhare)
Under Secretary
Ph. No. 24657271

Copy to:-

Smt. Shanti Seema Topno,
85/4, Ward No.4,
Ashiyana Apartment,
Flat No. 401, Mehrauli,
New Delhi – 110 030.

2255-57
4/4/18

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SST/8/2017/MFIN9/SEHRMT/RU-IV)

श्रीमती शांति सीमा टोपनो, 85/4, वार्ड नंबर 4, आशियाना अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 401, महरौली, नई दिल्ली द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 19.03.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्रीमती शांति सीमा टोपनो, ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने के मामले मे दिनांक 06.07.2017 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया। इसमे उन्होने उल्लेख किया कि अभ्यावेदक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मे कर्मचारी हैं तथा उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो भी इसी बैंक मे क्लर्क सह कैशियर के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 14.10.2005 को उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो बैंक के कार्य से बैंक की नकद राशि लेकर छपरा, बिहार शाखा से सोन्हों शाखा मे ले जा रहे थे। इस दौरान कुछ लुटेरों ने श्री क्लेमेंट टोपो को गोली मार कर सारे पैसे लूट लिए। इस दुर्घटना मे वे बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद उन्हे इलाज के लिए दिल्ली लाया गया और चूंकि वे अत्यंत गंभीर हालत मे थे इस वजह से अभ्यावेदक को उनकी देखभाल के लिए साथ आकार दिल्ली रहना पड़ा। इस बीच बैंक ने अभ्यावेदक को सैलरी नही दी तथा उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो का इंक्रीमेंट भी रोक दिया। अभ्यावेदक ने एक अटेंडेंट प्रदान करने के लिए बैंक प्रशासन को लिखा और साथ ही आयोग को भी शिकायत दी।
2. आयोग ने इस मामले मे अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को दिनांक 09.08.2017 को एक नोटिस भेज कर जानकारी मांगी। अभ्यावेदक द्वारा आयोग को भेजी शिकायत को संज्ञान मे लेते हुये महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने आयोग के नोटिस भेजे जाने

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के पूर्व दिनांक 25.07.2017 को पत्र प्रेषित कर आयोग को मामले से अवगत कराया। पुनः आयोग के नोटिस के पश्चात प्रत्युत्तर मे महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने दिनांक 18.08.2017 को पत्र प्रेषित कर पूर्व के पत्र का संज्ञान दिलाया। महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पत्र मे उल्लेख किया गया कि श्रीमती शांति सीमा टोपनो बैंक की अनुमति के बिना छुट्टी पर हैं। अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो और उनके पति श्री क्लेमेंट टोपो द्वारा बिना अनुमति के छुट्टी पर जाने के खिलाफ दिनांक 20.12.2012 को चार्जशीट जारी किया गया और जांच के पश्चात उन्हे बैंक सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ उन्होने अपीलीय प्राधिकरण मे अपील की। इससे उन्हे राहत मिली और दिनांक 09.07.2013 के आदेश से उनकी सेवा बरकरार कर दी गई। इसके अलावा दोनों को पूरा वेतन और मेडिकल खर्च बैंक वहन कर रहा है। साथ ही श्रीमती शांति सीमा टोपनो दिनांक 14.10.2005 से लगातार बिना अनुमति छुट्टी पर हैं। इस वजह से उनका वेतन मई 2006 से रोक रखा गया है। उन्हे कई बार योगदान देने को कहा गया किन्तु उन्होने बैंक मे अपना योगदान नही दिया।

3. महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जवाब से अभ्यावेदक को दिनांक 21.08.2017 को अवगत कराया गया। इसके प्रत्युत्तर मे अभ्यावेदक ने दिनांक 06.10.2017 को दुबारा आवेदन देकर न्याय के लिए आयोग से निवेदन किया। आयोग ने दिनांक 30.10.2017 को नोटिस जारी कर अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मामले मे बैठक के लिए दिनांक 10.11.2017 को आयोग मे बुलाया।
4. बैठक मे चर्चा के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उपस्थित हुए। उन्होने आयोग को अवगत कराया कि चूंकि बिना पूर्व स्वीकृति के अभ्यावेदक बैंक सेवा से 14.10.2005 से लगातार अनुपस्थित हैं। इस वजह से इनका वेतन जारी नही किया जा रहा है। अटेंडेंट प्रदान करने के मामले मे उन्होने यह भी बताया कि बैंक के पास इस तरह का कोई प्रावधान नही है।
5. आयोग ने मामले के सभी पहलुओ और पक्षों की जांच करने के पश्चात अपनी अनुशंसा सभी संबन्धित पक्ष को भेजा। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुपालन के संबंध मे महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 12.01.2018 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। पत्र मे आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुपालन के संबंध मे सूचना दी गई कि अभ्यावेदक के पति श्री क्लेमेंट टोपनो का 3 इंक्रीमेंट प्रदान कर दिया गया है, श्रीमती शांति सीमा टोपनो को बैंक की सेवा ज्वाइन करने का सुझाव दिया गया है तथा सभी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति नियमानुकूल की जा रही है। इसके पश्चात अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो ने आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुपालन मे हो रही देरी और न्याय के लिए दिनांक 16.02.2018 को आयोग मे उपस्थित होकर एक रिज्वाइंडर प्रस्तुत

Anusuiya

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किया। इसमे उन्होने उल्लेख किया कि अभी भी 94900 रुपये का मेडिकल बिल लंबित है। उनके पति का प्रोमोशन नही किया गया है, हादसा होने के बाद तीन इंक्रीमेंट दी गई किन्तु उसके बाद 12 वर्षों से उनकी पदोन्नति रुकी हुई है।

6. आयोग ने अभ्यावेदक के निवेदन पर विचार करते हुये नोटिस जारी कर अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मामले मे बैठक के लिए दिनांक 13.03.2018 को आयोग मे बुलाया। पुनः आयोग की अन्य महत्वपूर्ण बैठकों को देखते हुये 13.03.2018 की बैठक निरस्त कर दिनांक 19.03.2018 को कर दी गई।
7. दिनांक 13.03.2018 की बैठक के निरस्त होने की सूचना समय पर नही मिलने के कारण आयोग मे चर्चा के लिए दिनांक 16.03.2018 को अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उपस्थित हुये। किन्तु अभ्यावेदक की अनुपस्थिति के कारण बैठक नही की गई और अध्यक्ष से बैठक से संबन्धित उनका लिखित जवाब ले लिया गया। साथ ही आगामी बैठक मे आने का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि दिनांक 19.03.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए मुख्य प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उपस्थित होंगे।
8. आयोग मे चर्चा के लिए दिनांक 19.03.2018 को मुख्य प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उपस्थित हुए।
9. आयोग ने मामले मे हुई प्रगति के संबंध मे उनसे जानना चाहा। मुख्य प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक के पति श्री क्लेमेंट टोपनो का 3 इंक्रीमेंट प्रदान कर दिया गया है, श्रीमती शांति सीमा टोपनो को बैंक की सेवा ज्वाइन करने का सुझाव दिया गया है तथा सभी मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति नियमानुकूल की जा रही है। इसमे एंबुलेंस और फिजियोथेरेपी का बिल शामिल नही है क्योंकि बैंक नियमावली मे इस मद मे प्रतिपूर्ति का कोई नियम उल्लिखित नही है।
10. आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा इस पर अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो ने बैंक के जवाब से असहमति जताते हुये कहा कि अभी भी 94900 रुपये का मेडिकल बिल लंबित है। 12 वर्ष से उनके पति बेड रिडेन है और उनका एक भी प्रोमोशन नही किया गया है। आयोग की अनुशंसा के बाद केवल 3 इंक्रीमेंट दिया गया जबकि 12 इंक्रीमेंट देना चाहिए। अभ्यावेदक आयोग के समक्ष बताया कि उन्होने वर्ष 2006 मे कर्मचारियों को मिलने वाला ओवर ड्राफ्ट ऋण लिया था उसका ब्याज 150000 रुपये से बढ़ कर 310012 रुपये हो गया है। उन्होने निवेदन किया कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये इस ऋण पर जो ब्याज लगा है उसे माफ किया जाय। अभ्यावेदक ने यह भी बताया कि सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रांत कार्यालय के परिपत्र/आदेश संख्या का.वि.वि.- 98:-99-/78 दिनांक 20.09.1997 के क्रमांक 6 के अनुसार बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा भी अभ्यावेदक के पति को प्राप्त नही हुई है। सारण क्षेत्रीय ग्रामीण

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बैंक प्रांत कार्यालय के का.वि.वि. 98:-99-/78 दिनांक 20.09.1997 के क्रमांक 6 पर यह उल्लिखित है:- "बैंक डकैतियों और आतंकवादी हमलों का सक्रिय रूप से प्रतिरोध करने वाले बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों / जनसाधारण के मामले मे बैंक 50000 रुपये से अनधिक नकद इनाम पर विचार कर सकते है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा कर्मचारियों को असमय, (आउट ऑफ) टर्न पदोन्नति दी जा सकती है बशर्ते वे उस पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों चाहे उनके द्वारा की गई सेवा कितने ही वर्षों की क्यों न हो। उपर्युक्त मानदंड पूरा न करने वाले कर्मचारियों को उनके मौजूदा ग्रेड मे स्थायी आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों की अनुमति दी जाये।"

11. आयोग ने दोनों पक्षों और सभी तथ्यों के देखने के पश्चात यह पाया कि चूंकि मामले मे सेवा के दौरान अभ्यावेदक के पति श्री क्लेमेंट टोपो घायल हुये हैं अतः उन पर बैंक द्वारा मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। आयोग इस मामले मे निम्नलिखित अनुशंसा करता है :-

(i) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तत्काल सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रांत कार्यालय के परिपत्र/आदेश संख्या का.वि.वि.- 98:-99-/78 दिनांक 20.09.1997 के क्रमांक 6 के अनुसार मिलने वाला पुरस्कार प्रदान करे। साथ ही यदि अभ्यावेदक के पति श्री क्लेमेंट टोपो सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों तो उन्हे इस आदेश के अनुपालन मे घटना के समय से पदोन्नति देने हेतु कार्यवाही करे।

(ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक श्री क्लेमेंट टोपो के मेडिकल खर्च मे एंबुलेंस तथा फिजियोथेरेपी के खर्च को शामिल कराने के लिए बोर्ड के समक्ष मामला रखे और बोर्ड द्वारा इसमे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाये।

(iii) अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो द्वारा लिया गया ओवरड्राफ्ट ऋण के ब्याज की राशि माफ करने के लिए बैंक नियमानुकूल विचार करे तथा इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये निर्णय करे।

(iv) अभ्यावेदक श्रीमती शांति सीमा टोपनो को उनके द्वारा चयनित बैंक शाखा मे नियुक्ति कराई जाय ताकि वे अपने पति के इलाज के साथ सेवा भी दे सकें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SST/8/2017/MFIN9/SEHRMT/RU-IV)

श्रीमती शांति सीमा टोपनो, 85/4, वार्ड नंबर 4, आशियाना अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 401, महरौली, नई दिल्ली द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रति अपने कर्मचारी के कर्तव्यपालन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उपेक्षा करने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री आर. एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारी

1. श्री किशोर कुमार मिश्रा, मुख्य प्रबन्धक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

अभ्यावेदक

1. श्रीमती शांति सीमा टोपनो